संख्या-7/2016/400जेड/6-सा-1-2016-22जी/2014

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ0प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2016

विषयः-लोकतन्त्र रक्षक सेनानियों को सम्मान राशि एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को परिवहन बिलों के लम्बित देयकों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धन आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-453/छः-स्व0से0/2016, दिनांक-17-03-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में लेखाशीर्षक-2235-60-107-03-33 में उपलब्ध बचत रू0 9,88,27,000/- एवं लेखाशीर्षक 3055-190-04-42 में उपलब्ध होने वाली बचत रू0 3,00,00,000/- अर्थात़ कुल बचत रू0 12,88,27,000/- (रू0 बारह करोड़ अठासी लाख सत्ताईस हजार मात्र) से निम्न मदों में अतिरिक्त रूप से दिये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :-

लेखा शीर्षक/मद	धनराशि (रूपये में)
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-आपात कालीन अवधि में मीसा एवं डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि का भुगतान-42-अन्य व्यय।	12,70,65,000
3055-सड़क परिवहन-आयोजनेत्तर-190-सार्वजनिक क्षेत्र अन्य उपक्रमों को सहायता-03-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिये निगम को भुगतान-42-अन्य व्यय	17,62,000
योग	**12,88,27,000**

2- उपरोक्त पुनर्विनियोग निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

(1) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) जिस सीमा तक लम्बित देयता बतायी गयी है, उनके वस्तुतः लम्बित होने से सन्तुष्ट हो लेंगे। इस सम्बन्ध में किसी भी वित्तीय अनियमितता का पूर्ण दायित्व आपका होगा।

3- उपर्युक्त मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु की जाय, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

क्रमशः 2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भविष्य में जारी हो, शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय। मुझे यह भी कहना है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाय।

5- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03- आपातकालीन अवधि में मीसा एवं डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि का भुगतान-42-अन्य व्यय एवं लेखाशीर्षक 3055-सड़क परिवहन-आयोजनेत्तर-190-सार्वजनिक क्षेत्र अन्य उपक्रमों को सहायता-03-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से नि:शुल्क यात्रा सुविधा के लिये निगम को भुगतान-42-अन्य व्यय की सुसंगत मदों के नामे डाला जायगा तथा उक्त अनुदान के ही लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्तिक हित लाभ एवं 3055- सड़क परिवहन-आयोजनेत्तर- 190-सार्वजनिक क्षेत्र अन्य उपक्रमों को सहायता-04-आपातकालीन अवधि में मीसा एवं डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को उ0प्र0 सड़क परिवहन निगम की बसों से नि:शुल्क यात्रा सुविधा के लिये निगम को भुगतान-42-अन्य व्यय मद की सम्भावित बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायगा।

भवदीय,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या:7/2016/400(1)जेड/6-सा-1-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट ऑफीसर (आडिट-प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/12
8- आहरण एवं वितरण अधिकारी ।
9- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in